भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2359

उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या

†2359. **कु. सुधा आर.:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता कितनी है;

(ख) इन संस्थानों में नामांकित पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) इन संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को सामाजिक न्याय मिलने के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन संस्थानों में छात्रों की प्रवेश क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो संस्थान-वार ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों की प्रवेश क्षमता आनुपातिक रूप से बढ़ाए जाने की संभावना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2020 से इनमें से प्रत्येक संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा किए गए वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2023-24 के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय प्रबंध संस्थानों (आईआईएम), भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आईआईएसईआर) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल प्रवेश क्षमता और जेंडर-वार कुल नामांकन का विवरण निम्न प्रकार है:-

संस्थानों का प्रकार	प्रवेश क्षमता	विद्यार्थी नामांकन			
		पुरुष	महिला	ट्रांसजेंडर	कुल
केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2,76,988	4,11,643	3,83,824	6	7,95,467
आईआईटी	34,553	1,14,305	35,534	10	1,49,839
आईआईएम	9,956	15,445	7,552	-	22,997
आईआईएसईआर	2,642	6,886	4,760	-	11,646

(ग): एआईएसएचई के अनुसार, वर्ष 2014-15 और वर्ष 2023-24 के लिए आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर और सीयू में एससी/एसटी/ओबीसी के नामांकन का श्रेणी-वार भाग निम्न प्रकार है:-

2023-24							2014-15						
कुल	एससी	एससी का % भाग	एसटी	एसटी का % भाग	ओबीसी	ओबीसी का % भाग	कुल	एससी	एससी का % भाग	एसटी	एसटी का % भाग	ओबीसी	ओबीसी का % भाग
979949	127376	13%	44214	5%	191402	20%	771763	83474	11%	31056	4%	110638	14%

उपर्युक्त डेटा से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2023-24 में आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर और सीयू में एससी/एसटी/ओबीसी विद्यार्थियों के नामांकन के प्रतिशत भाग में वृद्धि हुई है।

(घ): शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण शिक्षा में सभी समुदायों की भागीदारी बढ़ाना केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों का उत्तरदायित्व है। मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/ कार्यक्रमों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप बनाया गया है। एनईपी 2020 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जन्म या पृष्ठभूमि के कारण किसी भी बच्चे को पढ़ने और आगे बढ़ने के अवसर से वंचित न होना पड़े। इस नीति का उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा तक अधिक पहुँच उपलब्ध करवाने के साथ पहुँच, भागीदारी और अधिगम परिणामों संबंधी सामाजिक श्रेणी की कमियों को कम करना है।

वर्ष 2014 से, 16 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू), 8 भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), 7 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 2 भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), 1 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और 12 नए एम्स स्थापित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, बजट वर्ष 2025-26 की घोषणा के अनुसरण में, सरकार ने 11,828.79 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ आंध्र प्रदेश (आईआईटी तिरुपति), केरल (आईआईटी पलक्कड़), छत्तीसगढ़ (आईआईटी भिलाई), जम्मू-कश्मीर (आईआईटी जम्मू) और कर्नाटक (आईआईटी धारवाड़) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित पांच नए आईआईटी में अनुसंधान पार्क बनाने सहित शैक्षिक और अवसंरचना क्षमता के विस्तार को अनुमोदित किया है, जो अतिरिक्त 6500 विद्यार्थियों हेतु शिक्षा में सुविधा प्रदान करेंगे।

केंद्रीय बजट 2026-27 में एसटीईएम संस्थानों/पाठ्यक्रमों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण/पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आस-पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप और प्रत्येक ज़िले में 1 बालिका छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की गई है।

सरकार ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 अधिसूचित किए हैं, जिसमें केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण कार्यान्वित किया गया है, इसके अनुसार, अध्ययन की प्रत्येक शाखा या संकाय में वार्षिक स्वीकृत क्षमता का क्रमशः 15%, 7.5% और 27% भाग अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षित हैं।

केंद्र सरकार ने देश भर के विद्यार्थियों के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फीस में कमी, और अधिक संस्थानों की स्थापना, छात्रवृत्ति, कमजोर वित्तीय पृष्ठभूमि विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए सहायता हेतु राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति तक प्राथमिक पहुँच प्रदान करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

सरकार पात्र निजी संस्थानों सहित सभी एचईआई में सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों सहित छात्रों के मध्य उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों को कार्यान्वित कर रही है।

(ङ): वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक आईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर और सीयू को मिलने वाले वर्ष-वार वित्तपोषण का विवरण निम्न प्रकार है:-

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आईआईटी	आईआईएम	आईआईएसईआर	सीयू
2020-21	6,455.28	465.22	992.96	8,202.53
2021-22	7,851.62	651	1,032.05	8,447.59
2022-23	8,540.32	593.60	1,353.41	10,526.07
2023-24	9,716.57	307.24	1,447.48	11,246.88
2024-25	10,187.46	219.40	1,459.30	15,667.63
2025-26	11,381.21	278.65	1,328.54	16,730.17
